रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72 REGISTERED No D.(D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 29, 1978/आषाढ़ 8, 1900
No. 133] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 29, 1978/ASADHA 8, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारी मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 44-ईटी सी (पी एन)/78

नई दिल्ली, 29 जून, 1978

विषय : सीमित रुपया भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत यूगोस्लाविया को निर्यातों से सम्बन्धित जानकारी/क्रियाविधि।

मिसिल सं० 5/9/76/इ० I:—सार्वजनिक सूचना संख्या 18-ईटी सी (पी एन)/78 दिनांक 3 अप्रैल, 1978 से आगे यूगोस्लाविया की सरकार के साथ परामर्श करने पर यह निश्चय किया गया है कि निम्नलिखित उत्पादों के आगे के लिए निर्यातों के लिए प्रत्येक के सामने संकेतिक सीमा तक सीमित रुपया भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत स्वीकृत दे दी जाए :

	(रुपए लाख में)
1. वाणिज्यिक वाहन	60.00
2. इलेक्ट्रानिक उपभोज्य वस्तु	40.00
3. हैण्डलूम सहित सूती वस्त्र	40.00
4. रेयन/सिल्क/मानव निर्मित रेशे के वस्त्र	4.20

2. सीमित भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत यूगोस्लाविया को ऐसे निर्यातों को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित क्रियाविधि निर्धारित की गई है :—

(1) ऐसे निर्यातक जो रुपया भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत उपर्युक्त कंडिका 1 में उल्लिखित माल का निर्यात करना चाहते हैं उन्हें अपने ठेके तत्काल तीन एजेन्सियों अर्थात् मद 1 और 2 के सम्बन्ध में इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के साथ और मद 3 और 4 के सम्बन्ध में क्रमशः सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई और रेशम और रेयन निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई के साथ पंजीकृत कराने होंगे।

3. केवल उन निर्यातकों को आवेदन करना चाहिए जिनके पास यूगोस्लाविया के उस आयातक के साथ की गई संविदा है जिनके पास जारी किया गया वैध लाइसेंस है। ऐसा करते समय निर्यातकों को चाहिए कि वे सम्बद्ध अभिकरण को संविदा (ओं) की प्रति के अतिरिक्त निम्नलिखित जानकारी की दो प्रतियां भेजें :

(क) उस यूगोस्लाविया आयातक का नाम और पता जिसके पास यूगोस्लाविया अधिकारियों द्वारा जारी किया हुआ वैध प्राधिकार पत्र है।

(ख) संविदा (ओं) की संख्या, और दिनांक

(ग) सुपुर्दगी सारणी

(घ) उस भारतीय पत्तन का नाम जहां से निर्यात के लिए लदान किया जाना है।

(ङ) उस में शामिल पण्य वस्तु एवं उसका मूल्य।

(च) उस यूगोस्लाव पत्तन का नाम जिसके लिए निर्यात के लिए लदान बुक किया जाना है।

(2) सम्बद्ध अभिकरण पहले आए, सो पहले पाए, के आधार पर संविदाएं पंजीकृत करेंगे और निर्यातकों एवं पत्तन लाइसेंस प्राधिकारी को (उन मदों के मामले में जो निर्यात नियंत्रण के अधीन है) और सीमा शुल्क प्राधिकारियों को (उन

मदों के मामले में जो कि निर्यात नियंत्रण अधीन नहीं है और ने भी जो खुला सामान्य लाइसेंस संख्या 3 के अंतर्गत शामिल की गई है) आवश्यक परामर्श जारी करेगी।

(3) निर्यातक निर्यात नियंत्रण प्राधिकारियों को यूगोस्लाविया के लिए निर्यात के लिए निर्धारित मदों के मामले में (खुला सामान्य लाइसेंस 3 के अंतर्गत आने वाली को छोड़कर) रुपए में लदान बिलों को भेजेगा और जो केवल निर्यातित मदों के निर्यात के लिए ही स्वीकृति देंगे और यह स्वीकृति लदान बिल (लों) को पास करने की तारीख से इन मदों के लिए लागू निर्यात नीति के अनुसार लदान बिलों पर पृष्ठांकन करके दी जाएगी। उन मदों के सम्बन्ध में लदान की स्वीकृति सीधे ही सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा सामान्य विधि से दी जाएगी जो निर्यात नियंत्रण के अधीन नहीं है और जो खुला सामान्य लाइसेंस संख्या 3 के अंतर्गत आती है।

(4) लदान, मूल्य, संविदा संख्या एवं निर्यातक के नाम के ब्यारे सम्बद्ध अभिकरण द्वारा एक पखवारे में अर्थात् प्रत्येक मास की 15 तारीख और प्रत्येक मास के आखिरी दिन तक वाणिज्य मंत्रालय (श्री आई शिवासुब्रामनियम, अवर सचिव) नई दिल्ली को भेजे जाएंगे।

3 निर्यातकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इसे नोट कर लें कि इस व्यवस्था के अंतर्गत यूगोस्लाविया के लिए रुपए में निर्यात के लिए सभी संविदाओं के लिए सम्बद्ध अभिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और यह उनकी संविदाओं के पंजीकरण द्वारा होगा।

4 निर्यातकों को और आगे सलाह दी जाती है कि भारत से जैसे ही लदान प्रभावी हो जाता है वे उसके बारे में सम्बद्ध अभिकरण को सूचना दें।

5 विभिन्न मदों के लिए उच्चतम सीमा की निगरानी उपयुक्त संकेतित सम्बद्ध अभिकरण द्वारा की जाएगी और जैसे ही उच्चतम सीमा पूरी हो जाती है वे संविदाओं का पंजीकरण बन्द कर देंगे।

का० आ० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 44-ETC(PN)/78

New Delhi, the 29th June, 1978

Sub : Information/Procedure regarding exports to Yugoslavia under Limited Rupee Payment Arrangements.

File No. 5/9/76—EL—Further to Public Notice No. 18-ETC(PN)/78 dated the 3rd April, 1978, it has been decided in consultation with the Government of Yugoslavia that further exports of the following products, to the extent indicated against each, be allowed under Rupee Payment Arrangements :

	(Rupees in Lakhs)
1. Commercial Vehicles	60.00
2. Electronic Consumer items	40.00
3. Textiles of cotton including handloom	40.00
4. Rayon/Silk/Man made fibre textiles	4.20

2. In order to regulate such exports to Yugoslavia under the Limited Payment Arrangements, the following procedure has been prescribed :—

(i) Such exporters who wish to export the goods mentioned in para 1 above, under the Rupee Payment Arrangement, are required to have their contracts registered with immediate effect with any of the three agencies, namely, the Engineering Export Promotion Council, Calcutta in respect of items 1 & 2; Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay and Silk and Rayon Textiles Export Promotion Council, Bombay, respectively, in respect of items 3 and 4.

3. Only such exporters need to apply who have a contract with an importer in Yugoslavia possessing a valid letter of authorisation issued by Yugoslav authorities. While doing so, the exporters are required to furnish to the agency concerned, in duplicate, the following information in addition to the copy of the contract(s) :—

(a) Name and address of the Yugoslav importer, having valid letter of authorisation issued by Yugoslav authorities.

(b) Contract(s) number and date

(c) Delivery schedule

(d) Indian port from which the shipment is to be effected for export

(e) Commodity and value thereof involved

(f) Name of the Yugoslav port to which the shipment is to be booked for exports.

(ii) The agency concerned will register the contracts on first-come, first-served basis and issue necessary advice to the exporters and the port licensing authority (in case of items which are under Export Control) and to the Customs authorities (in respect of items which are not under Export Control and also those which are included under O.G.L.3.)

(iii) The exporter will submit the shipping bill in respect of controlled items (except those under O.G.L.3) for export to Yugoslavia in Rupees to the Export Control authorities who shall allow export of only controlled items by endorsement on shipping bills in accordance with export policy for that item in force on the date of passing of the shipping bill(s). Shipment in respect of items which are under OGL.3 shall be allowed direct by the Customs authorities in the normal manner.

(iv) The particulars of shipment, value, contract number, name of the exporter will be transmitted by the Agency concerned once a fortnight, i.e., by the 15th and the last day of each month to the Ministry of Commerce (Shri C. I. Sivasubramanian. Under Secretary) New Delhi, by name.

3. Exporters are advised to note that all contracts for export in Rupees to Yugoslavia under this arrangement must have the prior approval of the concerned agency by way of registration of their contracts.

4 Exporters are further advised to inform the concerned agency as soon as shipments from India have taken place.

5. Ceilings for the different items will be watched by the concerned agencies, indicated above and they will stop registering the contracts as soon as ceilings are exhausted.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978